

# माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
.....(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं  
पूर्ण पता) मेरे/पुत्र/पुत्री/पाल्य.....  
.....(विद्यार्थी का नाम व पूर्ण पता).....  
.....(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या ने .....  
.....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। रैगिंग निषेध से  
सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित  
प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. मैंने धारा-7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरा  
पुत्र/पुत्री पाल्य रैगिंग कि लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग  
में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रत्यक्ष करूँगा कि-  
(क) मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा -3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।  
(ख) मैं अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो किसी रैगिंग की धारा-3 विनियम के  
अन्तर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मेरे पुत्र/पुत्री को  
विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे  
पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं  
लगाया गया है और यदि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य को ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा  
सकता है।

स्थान-

दिनांक-

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर..... नाम.....

पूर्ण पता .....

.....मोबाईल नम्बर.....

**\*\* प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।**